पटना, 19 अगस्त 2018 दैनिक जागरण 11

पटना ग्रीन हाउसिंग पर रेरा का शिकंजा

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने बगैर रजिस्ट्रेशन योजनाओं का प्रचार-प्रसार और बुकिंग करने वाली रियल इस्टेट कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को रेरा ने पटना ग्रीन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की बोरिंग रोड स्थित एसबीआइ बैंक की खाता संख्या 3148027189 को फ्रीज करने की चेतावनी देकर जवाब-तलब किया है। रेरा चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह के निर्देश पर सदस्य आरबी सिन्हा ने पटना ग्रीन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भूषण कुमार सिंह और रितु कुमारी के नाम नोटिस जारी किया है। कंपनी के दोनों निदेशकों पर फरवरी से अगस्त के बीच रेरा की ओर से जारी चार नोटिस का संतोष जनक जवाब नहीं देने का आरोप है।

रेरा ने 18 अगस्त को जारी नोटिस में मेट्रो ग्रीन सिटी, शिवाला मोड़, नौबतपुर, दानापुर, पटना में संचालित परियोजना में किसी तरह की बिक्री या बुकिंग नहीं करने की चेतावनी भी दी है।

उल्लेखनीय है कि रेरा ने पटना ग्रीन हाउसिंग के खिलाफ पहली 13 बार फरवरी, इसके बाद 21 मई, फिर दो जुलाई और आखिरी नोटिस 8 अगस्त को जारी किया था लेकिन कंपनी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कंपनी रोक के बावजूद प्लॉट, दुकान, डुप्लेक्स और भवनों की बुकिंग भी कर रही है। ऐसे में रेरा ने डेवलपर्स की एसबीआइ की बैंक खाता फ्रीज करने की चेतावनी दी है।

कार्रवाई

- कंपनी निदेशक भूषण कुमार सिंह और रितु कुमारी से जवाब तलब
- डेवलपर्स की एसबीआइ की बैंक खाता होगा फ्रीज
- निदेशकों पर रेरा की ओर से जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं
- रोक के बावजूद प्लॉट, दुकान, डुप्लेक्स और भवनों की बुकिंग भी